[illegible] उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

[illegible] 28/2006

1. [illegible] पुत्र
2. पार्वती पुत्री } नारायणलाल
3. कलावती बेवा
4. कृष्णा पुत्री } भैरूलाल
5. नरेन्द्र पुत्र
6. हरिशंकर पुत्र
7. सुरेश पुत्र
8. हेमन्त पुत्र
9. रामकन्या बेवा
10. चन्द्रकलां पुत्री
11. द्रोपदी पुत्री } बिरधीलाल

} जातियान जावट निवासी मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. नाथूलाल पुत्र मोतीलाल जाति तमोली निवासी मांगरोल
2. अब्दुल कादर
3. अब्दुल लतीफ
4. मोहम्मद सिद्दिक } पिसरान बशीर मोहम्मद कोम मुसलमान निवासी मांगरोल
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री के0 के0 सोनी
दायरा दिनांक: 13.01.2006 — निर्णय दिनांक : 11.01.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल में साबिक खसरा नं0 538 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित थी जो सन् 1978 में प्रतिवादी नं0 1 के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज थी। उक्त आराजी इन्तकाल नं0 199 दिनांक 21.09.1977 से प्रतिवादी नं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी थी। एवं 21.09.1977 से इस भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 खातेदारी था। उक्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1978 को रू0 3300 में नारायण लाल पुत्र हीरालाल जाति जाटव निवासी मांगरोल को बेचान करके सब रजिस्ट्रार मांगरोल के समक्ष बेचान नामा प्रमाणित करवा दिया था तथा कब्जा भी उसी समय नारायणलाल संभला दिया था। नारायणलाल का

[illegible] फौत होने के बाद उसके वारिसान का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। वक्त बन्दोबस्त [illegible] ने साबिक खसरा नं0 538 रकबा 16, बीघा 16 बिस्वा के नये खसरा नं0 613 रकबा 1.46 [illegible] खसरा नं0 617 रकबा 0.59 है0. कुल 2.05 है0 कायम किये व भूमियां वापस प्रतिवादी कम 1 के [illegible] ने दर्ज कर दी जबकिं उस भूमि का नया रकबा 2.70 है0 कायम करना चाहिए था। इस प्रकार [illegible] है0 रकबा कम कायम किया गया है। नारायणलाल ने अपने जीवनकाल में तथा नारायण लाल के फौत होने के बाद उनके वारिसान वादीगण ने प्रतिवादी कम 5 के विधिक प्रतिनिधियों से काफी आग्रह किया कि वे वाद ग्रस्त आराजी को वादीगण के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज करें किन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया अतः ग्राम किशनपुरा की हाल खसरा नं0 613 रकबा 1.46 है0 व खसरा नं0 617 रकबा 0.59 है0 कुल 2.05 है0 पर प्रतिवादी नं0 1 का नाम निरस्त करके वादीगण का नाम बतौर खातेदार कृषक व दर्ज करवाया जावें तथा हाल खसरा नं0 616 रकबा 0.13 है0 जो सिवाईचक है पर तथा हाल खसरा नं0 615 रकबा 0.70 है0 एवं हाल खसरा नं0 614 रकबा 1.68 है0 कुल 2.38 है0 में से 0.52 है0 भूमि हाल खसरा नं0 613 के सहारे की इस प्रकार कुल 0.65 है0 कमी रकबा जो भू-प्रबंध विभाग ने कम दर्ज किया है। वादीगण के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज करवाया जायें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादी गण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थिति तो जर्ये अधिवक्ता दी गई लेकिन कोई जवाबदावा पेश नही किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू 1 हेमन्त कुमार व पीडब्ल्यू 2 सुरेश कुमार के बयान लेखबद्ध करवाये दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श अ-1 नोटिस जिला कलक्टर, प्रदर्श 2- रसीद नकल प्राप्ती की, प्रदर्श- 3 रजिस्ट्री विकयशुदा आराजी, प्रदर्श-4 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 5- नक्शा आराजी , प्रदर्श 6- राजस्व नक्शा हाल खसरा नम्बर आराजी, प्रदर्श 7- जमाबंदी राज0 सरकार के खाते दर्ज खसरा नं0 616 रकबा 0.13 है0 प्रदर्श 8- नकल जमाबंदी ग्राम किशनपुरा खातेदार अब्दुल कादर वगै0, प्रदर्श 9- नकल जमाबंदी ग्राम किशनपुरा खातेदार नाथूलाल तम्बोली, प्रदर्श 10- जमाबंदी सम्वत 2034-2036 ग्राम किशनपुरा खातेदार नाथूलाल प्रदर्श 11- नामान्तरकरण 199 ग्राम किशनपुरा दर्ज नाथूलाल।

बहस एक पक्षीय सुनी गई समस्त प्रस्तुत दस्तावेज पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। गवाह पीडब्लयू 1 हेमन्त कुमार व पीडब्ल्यू 2 सुरेश कुमार को पढा गया। वकील वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रदर्श 11 इंतकाल नं0 199 से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 1 नाथूलाल पुत्र मोतीलाल के दर्ज की गई बाद इन्तकाल के जमाबंदी प्रदर्श 10 ग्राम किशनपुरा में खसरा नं0 538 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी कम 1 नाथूलाल के खाते में दर्ज की गई। वादीगण के पिता व पितामह नारायणलाल पुत्र मोतीलाल ने यह आराजी दिनांक 20.04.1978 जर्ये रजिस्टर्ड विकय प्रदर्श 3 से खातेदार नाथूलाल से कय

[illegible] से आज तक वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। आगे बहस [illegible] नं0 538 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा के हाल खसरा नं0 613 रकबा 1.46 है0 व [illegible] है0 दर्ज किऐ गये जो प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज है।

[illegible] ने इस बात कि पुष्टि अपने बयान पीडब्ल्यू 1 व पीडब्ल्यू 2 से की है। न्यायालय के मत में [illegible] सम्वत 2061–64 में नाथूलाल के खाते में खसरा नं0 613 रकबा 1.46 है0 व खसरा नं0 [illegible] है0 दर्ज है। लेकिन मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 के अनुसार खसरा नं0 617 रकबा 0.59 है0 [illegible] मुताबिक खसरा नं0 538 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा से बनना नही पाया जाता है रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] प्रदर्श 3 पर अविश्वास करने का कोई कारण नही पाया जाता है वादीगण काबिज काश्त है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार करना न्यायोचित समझता है। अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खसरा नं0 613 रकबा 1.46 है0 वाके ग्राम किशनपुरा तह0 मांगरोल प्रतिवादी कम 1 नाथूलाल या उसके दर्ज हाल वारिसान खातेदारान की खातेदारी में से खारिज किया जाकर खसरा नं0 613 रकबा 1.46 है0 वाके किशनपुरा वादीगण की खातेदारी में दर्ज किऐ जाने की घोषणा की जाती है। वादीगण के खाते में आराजी दर्ज की जावें। शेष प्रार्थना के लिए वाद वादीगण खारिज किया जाता है। आदेशानुसार पर्चा डिकी बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना